

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



एफ 41 (1) ग्रावि/नरेगा/रा.गा.से.के/अलवर/09-10 जयपुर, दिनांक 12.05.10

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर
अलवर।

|| 4 MAY 2010

विषय :- भारत निर्माण राजीव गौड़ी सेवा केन्द्र के स्थान परिवर्तन
बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक महानरेगा/194 दिनांक 7.05.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक द्वारा भारत निर्माण राजीव गौड़ी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पाठन मेवान के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन चाहा गया है।

इस सम्बन्ध में कृपया विभागीय पत्र क्रमांक एफ एफ 41 (1) ग्रावि/नरेगा/रा.गा.से.के/प्रगति/करौली/09-10 दिनांक 22.03.10 का अवलोकन करे (प्रति संलग्न है) जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय में स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थान पर भारत निर्माण राजीव गौड़ी सेवा केन्द्र का निर्माण कराने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव लिया जाकर तदनुसार केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान नियत किया जावे। स्थान परिवर्तन करने अथवा मानचित्र के परिवर्तन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से होना आवश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करावें।

भवदीय

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(रामनिवास मेहता)
परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को भेजकर अनुरोध है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर के भारत निर्माण राजीव गौड़ी सेवा केन्द्र निर्माण के क्रम में स्थान परिवर्तन/मानचित्र परिवर्तन के क्रम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का श्रम कुरावे।

2. XEN, EGS, २१ (A1)

परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस

XEN(1)
XEN(1)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३)



एफ 41 (1) नरेगा / रा.गा.से.के / प्रगति / करौली / 09-10

जयपुर, दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर
समस्त।

22 MAR 2010

विषय :— भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के स्थान में परिवर्तन बाबत।

महोदय,

नरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 15 से 18 मार्च 2010 को आयोजित वीडियो कान्फ्रैंस में कई जिलों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों के निर्माण के क्रम में कई ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कार्यालय परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं है।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु जारी विभागीय आदेश दिनांक 19.12.09 में यह अंकन किया गया है कि पंचायत समिति/ग्राम पंचायत परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थान पर सेवा केन्द्र का निर्माण करवा लिया जावे। स्थान परिवर्तन करने अथवा मानचित्र में परिवर्तन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से होना आवश्यक है।

विभागीय पत्र दिनांक 19.12.09 के निरन्तर में यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय में स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थान पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण कराने से पूर्व ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव ले लिया जावे।

भवदीय

204

(रामनिवास मेहता)

परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :—

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. अधिशासी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
3. मुख्य पत्राकारी, BNRSK, परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस